

**दिल्ली विकास प्राधिकरण
रोहिणी खेल परिसर
सेक्टर-14, रोहिणी दिल्ली-110085**

न0: एसपी/आरएससी/0073/2023/एफ1/-आरएससी/587

दिनांक: 20.10.2023

संक्षिप्त एनआईक्यू नंबर-04/आरएससी/डीडीए/2023-24

कॉम्प्लेक्स, रोहिणी दिल्ली-110085 में निम्नलिखित कार्यों के लिए अध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण (स्पोर्ट्स विंग) की ओर से ऑनलाइन कोटेशन आमंत्रित किए जाते हैं। कोटेशन दो भागों में अपलोड किया जाएगा, अर्थात् 'भाग-I' जिसमें तकनीकी बोली होगी और 'भाग-II' जिसमें 'वित्तीय बोली' होगी। निर्धारित तरीके से अपलोड न की गई बोली को बिल्कुल भी शामिल नहीं किया जाएगा। निविदाकर्ता को जीएसटी विभाग के साथ पंजीकृत होना चाहिए और निविदा के साथ पंजीकरण की एक प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए। निविदाकर्ता को जीएसटी विभाग के साथ पंजीकृत होना चाहिए और निविदा के साथ पंजीकरण की एक प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए। बयाना राशि आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से "सीएयू स्पोर्ट्स डीडीए (ईएमडी खाता)" के खाते में जमा की जाएगी, जिसका खाता नंबर 1614159849 "कोटक महिंद्रा बैंक, गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली, (आईएफएससी। केकेबीके0000184)" है।

अभी:- एम/ओ रोहिणी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, डीडीए।

जमुना रेत, अच्छी मिट्टी, बोगेनविलिया, मधुमालती, इक्सोरा की आपूर्ति रोहिणी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में परविप्लोरा और मवेशी खाद।

अनुमानित लागत: रु. 1,17,097/-

बयाना राशि: रु. 10,000/-

(मात्रा की अनुसूची संलग्न)

कोटेशन दस्तावेज़ ई-टेंडरिंग पोर्टल यानी वेबसाइट <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> या www.dda.org.in पर 31.10.2023 (सुबह 11:00 बजे) (अंतिम तिथि) तक प्राप्त/डाउनलोड किए जा सकते हैं। बिक्री और तकनीकी बोली 01.11.2023 (सुबह 11:30 बजे) को खोलना। आरटीजीएस/एनईएफटी का अद्वितीय लेनदेन संदर्भ कोटेशनकर्ता द्वारा निर्धारित तिथि तक ई-टेंडरिंग प्रणाली में अपलोड करना होगा।

तकनीकी बोली (पहला कवर)

तकनीकी बोली में कोटेशनकर्ताओं को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक है:-

- i. आरटीजीएस/एनईएफटी (ईएमडी) के संदर्भ की स्कैन की गई प्रति।
- ii. पैन नंबर की स्कैन की गई कॉपी
- iii. जीएसटी प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति।
- iv. किसी भी सरकार में समान प्रकृति के कार्य के अनुभव प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रति। संगठन/पीएसयू.
- v. डीडीए के ठेकेदार पंजीकरण बोर्ड के पास जमा अपेक्षित शुल्क के प्रमाण की स्कैन की गई प्रति।
- vi. संतोषजनक कॉम की स्कैन की गई कॉपी
- vii. एनआईक्यू के अनुसार पूर्णता प्रमाण पत्र।

नियम एवं शर्तें :-

1. आपूर्ति/कार्य विनिर्देशों के अनुसार किया जाएगा।
2. उद्धृत दर में संबंधित राज्यों के तहत देय जीएसटी सहित सभी कर/लेवी शामिल होनी चाहिए, डीडीए इस संबंध में किसी भी दावे पर विचार नहीं करेगा।
3. भुगतान सचिव, आरएससी की पूर्ण संतुष्टि के बाद किया जाएगा।
4. विभाग द्वारा कोई टी एंड पी जारी नहीं किया जाएगा।
5. एजेंसी को कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।
6. आयुक्त (खेल) बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली/कोटेशन को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
7. यदि कार्य निर्धारित समय में पूरा नहीं होता है तो कार्य घटिया पाए जाने पर संबंधित एजेंसी को डिबार करने का अधिकार आयुक्त (खेल) के पास सुरक्षित है।
8. सशर्त कोटेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
9. यथा लागू आवश्यक वैधानिक कटौतियों की जाएंगी।

10. साइट पर किसी भी नाबालिग को काम पर नहीं लगाया जाएगा।
11. विभाग द्वारा एजेंसी को कुछ भी अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।
12. कोटेशन की वैधता खुलने की तारीख से 60 दिन है।
13. वर्जित एजेंसी/या व्यक्ति को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एजेंसी प्रतिष्ठित होनी चाहिए और उसकी कोई धूमिल प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए।
14. जिस भी व्यक्ति को प्रतिबंधित किया गया है, उसे किसी भी बातचीत में भाग लेने या किसी एजेंसी का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति नहीं है, भले ही उसके पास एजेंसियों की ओर से पावर ऑफ अटॉर्नी हो। वर्जित व्यक्तियों को शामिल करने वाली कोई भी एजेंसी भी वर्जित करने के लिए उत्तरदायी है।
15. अनुसूची में वस्तुओं की मात्रा अस्थायी है जो साइट की स्थितियों के आधार पर बदल सकती है।
16. यदि संपूर्ण कार्य आपूर्ति आदेश में उल्लिखित निर्धारित समय के भीतर नहीं किया जाता है, तो यह सचिव/आरएससी का पूर्ण विवेक होगा कि वह आइटम के कार्य को उन शर्तों पर स्वीकार करें जिन्हें सचिव उचित और उचित समझें या आपूर्ति/कार्य आदेश को रद्द कर दें। / कार्य के विरुद्ध किसी भी भुगतान को रोकने के लिए / बयाना राशि जब्त करने या संबंधित एजेंसी को प्रतिबंधित करने के लिए। इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और किसी भी फोरम के समक्ष उस पर सवाल नहीं उठाया जाएगा।
17. कार्य निष्पादन के दौरान ठेकेदार पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा। यदि साइट/आसपास पर कोई हानि/चोरी/क्षति होती है, तो उसे उद्धृत दरों के साथ पूरा किया जाएगा या एजेंसी से वसूल किया जाएगा/एजेंसी के जोखिम और लागत पर पूरा किया जाएगा।
18. यदि कोई एजेंसी पहली बार दोषपूर्ण या अधूरी निविदा प्रस्तुत करती है, तो जमा की गई बयाना राशि का 20% जब्त कर लिया जाएगा। हालाँकि, यदि एजेंसी गलती करती है या बाद की निविदाओं में फिर से अधूरी निविदा प्रस्तुत करती है और सक्षम प्राधिकारी को पता चलता है कि चूक उसके इरादे में जानबूझकर, लापरवाही या दुर्भावनापूर्ण है, तो बिना कोई कारण बताए बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी और निविदाकर्ता को ऐसा करना होगा। भविष्य की निविदा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
19. यदि बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत दरें समान हैं, तो किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए, कॉम्प्लेक्स के सचिव, आरई और कॉम्प्लेक्स के डीडीओ की एक समिति द्वारा लॉटरी निकाली जाएगी।
20. डीडीए के सदस्यों और प्रशासनिक कर्मचारियों की वास्तविक समय की प्रतिक्रिया के आधार पर, जब भी सेवा में कमी देखी जाएगी, उसे सुधार के लिए एजेंसी/ठेकेदार को सूचित किया जाएगा। यदि सूचना के समय से निर्धारित अवधि के भीतर कोई सुधार/सुधार नहीं होता है, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित आनुपातिक कटौती, एजेंसी/ठेकेदार से की जाएगी।
21. आपूर्ति आदेश जारी होने की तारीख से 05 दिनों के भीतर आपूर्ति/कार्य पूरा किया जाना चाहिए।

- एसडी -
एसओ(बागवानी)/आरएससी

कॉपी में:-

1. आयुक्त (खेल), डीडीए- कृपया जानकारी के लिए।
2. निदेशक (सिस्टम)/डीडीए ई-मेल के माध्यम से। ddatender@dda.org.in.
3. सीनियर एओ (स्पोर्ट्स), डीडीए।
4. डीडीए खेल परिसरों के सभी सचिव।
5. डीडीए कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ई-18 विकास कुटीर, नई दिल्ली।
6. डीडीए कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन, कमरा नंबर 12, बैरक नंबर 1, ब्लॉक- ए, विकास कुटीर, नई दिल्ली।
7. दिल्ली कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन (सी), 306, मस्जिद मोठ, एनडीएसई, भाग-2, नई दिल्ली।
8. एएओ/आरएससी.
9. सूचना पट्ट।

- एसडी -
एसओ(बागवानी)/आरएससी

मात्रा की अनुसूची

कार्य का नाम: एम/ओ रोहिणी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, डीडीए।

जमुना रेत, अच्छी मिट्टी, बोगेनविलिया, मधुमालती , इक्सोरा की आपूर्ति रोहिणी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में परविप्लोरा और मवेशी खाद।

क्र.सं. _	वस्तु का विवरण	मात्रा.	इकाई	दर	मात्रा
				(रुपये में)	(रुपये में)
1	चयन संख्या प्रदान करना एवं रखना। मौजूदा जमीन की 50 मिमी से 60 मिमी मोटाई के साथ 1 डूब घास का मैदान, उचित स्तर के साथ तैयार किया गया है और लकड़ी के आवश्यक उपकरणों के साथ घुमाया गया है और हल्के रोलर के साथ सतह को रोल करने के बाद सतह को चिकना किया गया है और हल्के पानी से घास स्थापित होने तक 30 दिनों या उससे अधिक समय तक समान रखरखाव किया जाता है। प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार ठीक से	200	वर्गमीटर		
2	जमुना रेत	110	घन मीटर		
3	5 किमी तक रॉयल्टी और ढुलाई सहित साइट पर अच्छी तरह से सड़े हुए मवेशी खाद की आपूर्ति और ढेर लगाना । सीसा पूर्ण (स्टैक में मापा गया मवेशी खाद भुगतान के लिए 8% कम हो जाएगा)।	50	घन मीटर		
4	रॉयल्टी सहित साइट पर अच्छी मिट्टी की आपूर्ति और स्टैकिंग और 5 किमी तक की ढुलाई पूरी (स्टैक में मापी गई मिट्टी भुगतान के लिए 20% कम हो जाएगी)।	110	घन मीटर		
5	बोगनविलिया (विविधता बुटियाना , लेडी मैरी बैरिंग, महारा, मोहन, स्कारलेट क्वीन, वेरीगेटेड, ग्लबरा फॉर्मोसा, पेरुवियाना) उपलब्ध कराना और ढेर लगानाओडिसी , पराठा , सुभ्रा, थिम्मा , स्पेक्टाबिलिस एलएन बिड़ला, रिफुलजेंस) ऊंचाई 30 सेमी। से 45 सेमी. प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार 20 सेमी आकार के मिट्टी के बर्तनों/प्लास्टिक के बर्तनों में 2-3 शाखाओं के साथ।	100	प्रत्येक		
6	मधुमालती की आपूर्ति एवं भंडारण	100	प्रत्येक		
7	Ixora की आपूर्ति और स्टैकिंगपरविप्लोरा	100	प्रत्येक		

- एसडी -
एसओ(बागवानी)/आरएससी